तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामहेत बनाम आवंटन सलाहकार समिति बांदीकुई** **अपील संख्या 107/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/546)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उनकी बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी रामहेत को किये गये भूमि विवादग्रस्त के आवंटन को अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा भूमि विवादग्रस्त चारागाह भूमि होने एवं चारागाह भूमि का आवंटन नही किया जा सकता मानते हुए प्रार्थी का आवंटन दिनांक 20.01.1997 को निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 24.07.2001 को वकील अपीलान्ट तथा अपीलान्ट दोनों में कोई उपस्थित नही होने पर अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा असाधारण विलम्ब लगभग 23 वर्ष 5 माह पश्चात् न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश किया गया तथा प्रार्थी द्वारा उक्त असाधारण विलम्ब लगभग 23 वर्ष 5 माह के विलम्ब के सम्बन्ध में किसी प्रकार के ठोस व संतोषजनक कारण न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नही किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी लगभग 23 वर्ष 5 माह के असाधारण विलम्ब से पेश होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया गया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफीता मूल अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (असलम शेर खान) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर।	